



2026:AHC:61927

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9510 वर्ष 2026

आकाश और 3 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीपेंद्र कुमार, मृत्युंजय राय, प्रदीप कुमार राय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेंद्र कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत, दिनांक 25.12.2023 की चार्जशीट, दिनांक 06.04.2024 के संज्ञान/समन आदेश, तथा आपराधिक मामला संख्या 6559/2024 (राज्य बनाम आकाश व अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह मामला, केस क्राइम संख्या 245/2023 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें धारा 498A, 323 आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप हैं; यह मामला पुलिस थाना-किठौर, जिला-मेरठ से संबंधित है और वर्तमान में अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), (सी.ए.डब्ल्यू.), मेरठ के न्यायालय में लंबित है, तथा दिनांक 19.03.2025 को हुए समझौते के आधार पर यह आवेदन किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि पक्षों ने 19.03.2025 की समझौता-पत्र के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ अनुलग्नक '4' के रूप में प्रस्तुत किया गया है; इस समझौता-पत्र का सत्यापन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 2, मेरठ के न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2026 के आदेश के माध्यम से विधिवत रूप से किया जा चुका है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के बीच वैवाहिक कलह के कारण उत्पन्न हुआ है। यह तर्क भी दिया गया है कि पक्षों ने स्वेच्छा से इस समझौते में प्रवेश किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या ज़बरदस्ती के तहत; वे संबंधित न्यायालय में लंबित इस मामले को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं हैं। अतः, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर, विवादित कार्यवाही

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



को रद्द कर दिया जाना चाहिए, और वे इस मामले में कोई प्रति-शपथ पत्र या प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

6. पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने से संबंधित कानून पूरी तरह से स्थापित है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 SCC 675 मामले में दिए गए फैसले के आलोक में, यह माना गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है; विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, जहाँ पक्षों के बीच कोई वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जिसमें समझौता योग्य अपराधों की सूची दी गई है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है; और इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वे अपराध अन्यथा समझौता-अयोग्य श्रेणी के हों।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012)10 SCC 303 मामले में अपने संवैधानिक पीठ के फैसले में यह माना है कि:- "परंतु, जिन आपराधिक मामलों में मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर दीवानी प्रकृति का प्रभाव होता है, उन्हें रद्द करने के मामले में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है; विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के अन्य लेन-देन से उत्पन्न अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होते हैं, या वे अपराध जो वैवाहिक मामलों (जैसे दहेज आदि) से जुड़े होते हैं, अथवा वे पारिवारिक विवाद जिनमें किया गया अपराध मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और संबंधित पक्षों ने अपने पूरे विवाद को आपस में सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—अपराधी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के कारण—दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम या नगण्य रह गई हो; और यदि आपराधिक मामला जारी रखने से आरोपी को अत्यधिक उत्पीड़न और हानि का सामना करना पड़े, तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और अंतिम समझौता हो जाने के बावजूद भी, आपराधिक मामले को रद्द न करने से आरोपी के साथ घोर अन्याय होने की आशंका हो।”

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 SCC 641 मामले में, अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार, “समझौते के आधार पर, उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जिनमें समझौता संभव नहीं होता, ताकि न्यायालय का कीमती समय बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।”

10. पक्षों ने संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के अवलोकन तथा ऊपर उद्धृत विधि के आधार पर, प्रस्तुत मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह विवाद पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी पूरी संतुष्टि के साथ सुलझा लिया है; इसलिए, अभियोजन पक्ष को आगे और जारी रखने की अनुमति देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दायर यह वर्तमान आवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य', आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 के मामले में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।

13. उपरोक्त के आलोक में, आपराधिक मामला संख्या 6559/2024 (राज्य बनाम आकाश और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही—जो मामला अपराध संख्या 245/2023 (धारा 498A, 323 आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत), पुलिस थाना किठौर, जिला मेरठ से उत्पन्न हुई है, को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

14. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दाखिल यह वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

25 मार्च, 2026

शिवानी

(न्यायमूर्ति, नंद प्रभा शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।